

**मांग संख्या 10**  
**मुख्य शीर्ष 2406**

**मद क्रमांक 1**

न्यायालयीन प्रकरणों में न्यायालय द्वारा पारित अवार्ड के पालन हेतु रूपये 375.90 लाख की आवश्यकता है। यह भारित मद है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 3,75,90,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2-3**

राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियों के तट पर वृक्षारोपण योजना पर रूपये 10.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार 12.40 लाख तेन्दूपत्ता संग्राहकों को चरणपादुका प्रदाय किया जाना है। जिस पर इस वर्ष 134.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,34,50,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार वन्य प्राणियों द्वारा जनहानि करने पर क्षतिपूर्ति पर इस वर्ष रूपये 100.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।